

28-5-2025

वकील पक्षकारान उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो व मूल अपील पत्रावली के साथ नत्थी हो।

अति.  जिला कलेक्टर, सिरोही